

218/17

उपरखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

वकील वादी एवं वकील उल्लिखित लाखा 1 से 6 व 8 से 12 इकाई
पैरोकार उल्लिखित 13 इकाई। वकील वादी उल्लिखित सख्या
7 की लालबी टैर अदायगी तलवान समस्त समय लेते
रहे हैं। बाद बाद विदायत के वाक्य ललवान समस्त
अदा नहीं किया है। और विशेष पालन में असफल रहे हैं
एत बाद अदेश 7 नियम 11 (ब) के वाक्यानुसार सत्य
निरस्त किया गया है। मिसल ईसल धुमार रोकर नपर
से कम है।

५

उपरखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

मिसल ईसल धुमार
(अजमेर) मसूदा

